न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 788/2022
अनवान : –

1. देवीलाल पुत्र भानीराम जाति ब्राहमण निवासी नीमला तहसील नोहर।
2. रमेश पुत्र बजरंगदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. कृष्णलाल पुत्र भानीराम जाति ब्राहमण निवासी नीमला तहसील नोहर।
2. दलीप पुत्र भानीराम जाति ब्राहमण निवासी नीमला तहसील नोहर।
3. महावीर प्रसाद पुत्र भानीराम जाति ब्राहमण निवासी नीमला तहसील नोहर।
4. अमीचंद पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
5. प्रमेश्वरी पत्नी ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
6. रविन्द्र कुमार पुत्र प्रताप जाति जाट निवासी रामसरा ताल हाल राजगढ़।
7. रविना पुत्री सतवीर उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षिका माता ललिता पत्नी सतवीर जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
8. लोकेश पुत्र सतवीर उम्र 17 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षिका माता ललिता पत्नी सतवीर जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
9. ललिता पत्नी सतवीर जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री अजय गुरू अधिवक्ता प्रतिवादीगण
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक:- 5/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता संख्या 376/172 की कुल 8.5850 हैक्ट भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 379/268 की कुल 7.7740 हैक्ट भूमी में से 1237/62192 हिस्सा भूमि वादी संख्या 2, 2781/774 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 4, 1237/62192 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 5, 1878/3887 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 6, 1237/62192 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 7, 1237/62192 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 8, 1237/62192 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 9 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी एवं प्रतिवादीगण ने वाद भूमि का खाता व लगान आपसी सहमति व बंटवारा के अनुसार वादग्रस्त भूमि काश्त करते आ रहे है तथा मुताबिक बंटवारा के अनुसार ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 काबिज है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण निम्नानुसार खाता व लगान अलग करवाना चाहते है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:17:01 IST
Reason: SelfAttested

1\. रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता संख्या 379/268 के ख0न0 [illegible]/564 की 1.2350 हैक्ट भूमि एवं खाता संख्या 376/172 के ख0न0 555 की 3.0350 हैक्ट भूमि ख0न0 750/243 की 0.7590 हैक्ट भूमि ख0न0 756/584/1 की 0.928 हैक्ट आथुणा पासा की एवं

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

ख0न0 761/168 की 2.5980 हैक्ट, ख0न0 773/564 की 0.0300 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार रहेंगे।

2. रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता संख्या 376/172 के ख0न0 756/584/2 की 1.235 हैक्ट भूमि अगूणी तरफ एवं खाता संख्या 379/268 के ख0न0 178 की 1.0750 हैक्ट, ख0न0 180 की 2.6810 हैक्ट, ख0न0 768/156 की 2.7830 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 2 अकेला 0.6185 हैक्ट भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 बहिब 0.6185 हैक्ट भूमि के एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 6 का हिस्सा यथावत रहेगा एवं प्रतिवादी संख्या 5 का नाम कलमजन किया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक हिस्सा व मुताबिक कब्जा काश्त के खाता व लगान अलग करवाकर उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा एवं कब्जा काश्तक की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 9 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि हम पक्षकारान का बाहमी समझौता किया हुआ है मुताबिक समझौता हम पक्षकार उक्त वाद भूमि पर काबिज है एवं मुताबिक कब्जा काश्त के अपना खाता व लगान अलग करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:17:01 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर [illegible] गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के [illegible] रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता संख्या 376/172 की कुल 8.5850 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 379/268 की कुल 7.7740 हैक्ट भूमी में से 1237/62192 हिस्सा भूमि वादी संख्या 2,

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

2781/774 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 4, 1237/62192 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 5, 1878/3887 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 6, 1237/62192 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 7, 1237/62192 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 8, 1237/62192 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 9 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण ने अपना खाता व लगान अलग करवाने हेतु वाद पेश किया है संयुक्त खाते का कोई भी खातेदार काश्तकार मुताबिक हक हिस्सा अच्छी व मंदी भूमि के हिसाब से अपना खाता व लगान अलग करवा सकता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता संख्या 379/268 के ख0न0 772/564 की 1.2350 हैक्ट भूमि एवं खाता संख्या 376/172 के ख0न0 555 की 3.0350 हैक्ट भूमि ख0न0 750/243 की 0.7590 हैक्ट भूमि ख0न0 756/584/1 की 0.928 हैक्ट आथुणा पासा की एवं ख0न0 761/168 की 2.5980 हैक्ट, ख0न0 773/564 की 0.0300 हैक्ट भूमि का वादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता संख्या 376/172 के ख0न0 756/584/2 की 1.235 हैक्ट भूमि अगूणी तरफ एवं खाता संख्या 379/268 के ख0न0 178 की 1.0750 हैक्ट, ख0न0 180 की 2.6810 हैक्ट, ख0न0 768/156 की 2.7830 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 2 को 0.6185 हैक्ट भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 बहिब 0.6185 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 6 का हिस्सा यथावत रहेगा एवं प्रतिवादी संख्या 5 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:17:01 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 788 / 2022
अनवान : –

1. देवीलाल पुत्र भानीराम जाति ब्राहमण निवासी नीमला तहसील नोहर।
2. रमेश पुत्र बजरंगदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. कृष्णलाल पुत्र भानीराम जाति ब्राहमण निवासी नीमला तहसील नोहर।
2. दलीप पुत्र भानीराम जाति ब्राहमण निवासी नीमला तहसील नोहर।
3. महावीर प्रसाद पुत्र भानीराम जाति ब्राहमण निवासी नीमला तहसील नोहर।
4. अमीचंद पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
5. प्रमेश्वरी पत्नी ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
6. रविन्द्र कुमार पुत्र प्रताप जाति जाट निवासी रामसरा ताल हाल राजगढ़।
7. रविना पुत्री सतवीर उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षिका माता ललिता पत्नी सतवीर जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
8. लोकेश पुत्र सतवीर उम्र 17 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षिका माता ललिता पत्नी सतवीर जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
9. ललिता पत्नी सतवीर जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 788 सन 2022 निर्णय दिनांक – 05/03/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अजय गुरू व राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता संख्या 379 / 268 के ख0न0 772 / 564 की 1.2350 हैक्ट भूमि एवं खाता संख्या 376 / 172 के ख0न0 555 की 3.0350 हैक्ट भूमि ख0न0 750 / 243 की 0.7590 हैक्ट भूमि ख0न0 756 / 584 / 1 की 0.928 हैक्ट आथुणा पासा की एवं ख0न0 761 / 168 की 2.5980 हैक्ट, ख0न0 773 / 564 की 0.0300 हैक्ट भूमि का वादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता संख्या 376 / 172 के ख0न0 756 / 584 / 2 की 1.235 हैक्ट भूमि अगूणी तरफ एवं खाता संख्या 379 / 268 के ख0न0 178 की 1.0750 हैक्ट, ख0न0 180 की 2.6810 हैक्ट, ख0न0 768 / 156 की 2.7830 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 2 को 0.618[illegible] भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 बहिब 0.6185 हैक्ट भूमि के खातेदार [illegible] एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 6 का हिस्सा यथावत रहेगा एवं प्रतिवादी संख्या 5 [illegible] नाम कलमजन किया जाता है। इसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:17:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:17:01 IST
Reason: SelfAttested